

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
(मंत्रालय)

क्रमांक एल-17/8/99/ब-7/चार

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी, 2001

प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, गवालियर  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष  
मध्यप्रदेश

**विषय:- शासकीय व्यय में मितव्यता ।**

उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के समसंग्रहक परिपत्र दिनांक 20 मई, 1999 के बिन्दु क्रमांक 4 में मंत्रीगणों के निवास पर केवल 2 शासकीय वाहन चाहे विभाग, निगम, या मण्डल के हो उपलब्ध कराये जायेगे, जिन पर प्रतिमाह कुल 250 लीटर डीजल/पेट्रोल के व्यय की सीमा निर्धारित की गई है।

अब उक्त बिन्दु मो उपरोक्त के साथ ही यह भी पढ़ा जाय कि राज्य मंत्रियों के लिए डीजल/पेट्रोल के व्यय की सीमा 212 लीटर प्रतिमाह रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
हस्ता/-

(दीपक खांडेकर)  
अपर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एल-17/8/99/ब-7/चार

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी, 2001

प्रतिलिपि-

- (1) सचिव/सैनिक सचिव/राज्यपाल माहदेय,  
सचिव लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इंदौरा,  
नियंत्रक , शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल  
अवर सचिव(स्थापना)अवर सचिव(अधीक्षण) लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग,  
समस्त वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी/कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन के लिए अग्रेषित।
- (2) महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- (3) सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- (4) निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता/-

(टी.एल. साह)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग